

रिपोर्ट पटवारी हल्का/आई0एल0आर0
 आवेदन पत्र के सम्बन्ध में जांच की गई। जिसके अनुसार

श्रीमती शुक शुक देहा जमाबन्दी 2075-78 कागज संख्या-340 के राकल
 पुत्र कागल काल एक जमीन के अर्ध (बाएँ) के पतन कागल के राकल पुत्र
 कागल काल एक के अर्ध राकल पुत्र कागल के अर्ध राकल पुत्र कागल
 शुद्ध जमाका उचित है।

क्रमांक - राजस्व / 2020 /

कार्यालय तहसीलदार, उदयपुरवाटी/गुढागौड़जी

दिनांक :-

8/5/23
 प्रभारी अधिकारी
 प्रशासन गांवों के संग अभियान - 2023

मूल ही उपखण्ड अधिकारी महोदय, उदयपुरवाटी को प्रेषित कर निवेदन है कि आवेदन पत्र में वर्णितानुसार आवेदन का नाम दुरुस्त किया जाना उचित है/उचित नहीं है। आवेदक का नाम दुरुस्त किये जाने की अनिश्चया की जाती है।

प्रशासन गांवों के संग अभियान 2023

8/5/23
 तहसीलदार, उदयपुरवाटी/गुढागौड़जी

86
 8/5/2023

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक क्लर्क उदयपुरवाटी जिला झुंझुनू (राज.)

-: आदेश :-

दिनांक :-

प्रार्थी के "खाता दुरुस्ती" प्रार्थना पत्र, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्षों एवं तहसीलदार उदयपुरवाटी/गुढागौड़जी की रिपोर्ट के आधार पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 133 के अनुसार निम्नांकित दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर तहसीलदार (मू0अ0) उदयपुरवाटी/गुढागौड़जी को रिपोर्ट में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं।

क्र.सं.	ग्राम	जमाबन्दी संख्या	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व में दर्ज की जानी है)
1	शुक देहा	2075-78	340	राकल पुत्र कागल	राकल पुत्र कागल

नोट :-शेष पृथिवियां यथावत रहेंगी तथा यदि उक्त भूमि रहना हो तो रहन मुक्त होने के उपरान्त पालना की जावे।

क्रमांक - राजस्व / 2020 / 04

प्रतिलिपि :-

1. तहसीलदार (मू0अ0) उदयपुरवाटी/गुढागौड़जी को वास्ते पालनार्थ।
2. प्रार्थी/प्रार्थीया

8/5/23
 उपखण्ड अधिकारी
प्रभारी अधिकारी
 प्रशासन गांवों के संग अभियान - 2023
 उपखण्ड अधिकारी
 उदयपुरवाटी

8/5/23
 उपखण्ड अधिकारी
प्रभारी अधिकारी
 प्रशासन गांवों के संग अभियान - 2023
 उपखण्ड अधिकारी
 उदयपुरवाटी